भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2809

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

2809. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में जैव-ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत दस वर्षों के दौरान देश में जैव-ऊर्जा के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में गत दस वर्षों के दौरान स्थापित की गई नई जैव-ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) के प्रथम चरण के अंतर्गत देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसे वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए, 998 करोड़ रुप. के बजट परिव्यय से दिनांक 02.11.2022 को अधिसूचित किया गया था। प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले दस वर्षों के दौरान, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैव ऊर्जा परियोजनाओं में सहायता कर रही है, जिनमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी), वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक **नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी**), 12वीं योजना अवधि के दौरान **चीनी मिलों में ग्रिड-इंटरैक्टिव बायोमास विद्युत और बगास सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना**, 12वीं योजना अवधि के दौरान **शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम**, और वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक देश में **चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना** शामिल हैं।

(घ): कर्नाटक राज्य सहित पिछले दस वर्षों के दौरान देश में स्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इसके अलावा, एनबीपी चरण-I के तहत नई जैव ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अनुलग्नक-I

'जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए मौजूदा सीएफए सहायता निम्नानुसार दी जाती है:

अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम	**सीएफए (करोड़ रुपये में)**
बायोगैस उत्पादन	0.25 करोड़ रुपये प्रति 12000 घन मीटर/दिन
बायोसीएनजी उत्पादन	4.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम/दिन (नए बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए) 3.0 करोड़ रुपये प्रति 4800 किलोग्राम/दिन (वर्तमान बायोगैस संयंत्र से बायोसीएनजी उत्पादन के लिए)
बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन	0.75 करोड़ रु./मेगावाट (नए बायोगैस संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए) 0.5 करोड़ रु./ मेगावाट (वर्तमान बायोगसे संयंत्र से विद्युत उत्पादन के लिए)
जैविक एवं कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट आधारित विद्युत उत्पादन	0.4 करोड़ रुपए/प्रतिमेगावाट
बायोमास गैसीफायर	विद्युत अनुप्रयोगों के लिए ड्यूल फ्यूल इंजन के साथ 2,500 रुपये प्रति KWe. विद्युत अनुप्रयोगों के लिए 100% गैस इंजन के साथ 15,000 रुपये प्रति KWe. थर्मल अनुप्रयोगों के लिए 2 लाख रुपये प्रति 300 KWth.

बायोमास कार्यक्रम	**सीएफए**
ब्रिकेट निर्माण संयंत्र	9.00 लाख रुपये/टीपीएच (अधिकतम सीएफए - 45.00 लाख रुपये प्रति परियोजना)
नॉन-टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र	21 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता के लिए या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजी लागत का 30% मानते हुए, जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 105 लाख रुपये)।
टॉरिफाइड पेलेट निर्माण संयंत्र	42 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता या 1 टीपीएच संयंत्र के संयंत्र और मशीनरी के लिए पूंजी लागत का 30% मानते हुए जो भी कम हो (प्रति परियोजना अधिकतम 210 लाख रुपये)
गैर-बैगास सह-उत्पादन परियोजनाएं	40 लाख रुपये प्रति मेगावाट अधिकतम सीएफए - 5.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना

बायोगैस कार्यक्रम	**सीएफए**

छोटे बायोगैस संयंत्रों के लिए (1-25 घन मीटर/प्रतिदिन संयंत्र क्षमता):	संयंत्र के आकार (घन मीटर में) के आधार पर प्रति संयंत्र 9,800 रुपये से 70,400 रुपये तक।
विद्युत उत्पादन और तापीय (थर्मल) अनुप्रयोगों के लिए (25-2500 घन मीटर/प्रतिदिन संयंत्र क्षमता):	विद्युत उत्पादन के लिए 35,000 रुपये से 45,000 रुपये प्रति किलोवाट। तापीय अनुप्रयोगों के लिए 17,500 रुपये से 22,500 रुपये प्रति किलोवाट समतुल्य। *नोट: पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपसमूह, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए मानक सीएफए से 20% अधिक ।*

अनुलग्नक-II

'जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले दस वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य समेत देश में स्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	बायोमास परियोजनाएँ क्षमता (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ क्षमता (मेगावाट)	बायोगैस संयंत्र सं.
1	आंध्र प्रदेश	35.1	35.95	28505
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	349
3	असम	2	0	23612
4	बिहार	39.8	0.32	236
5	छत्तीसगढ	54	0	11030
6	गोवा	0	1	140
7	गुजरात	12	15.2	5427
8	हरियाणा	87.4	17.39	3487
9	हिमाचल प्रदेश	1.5	0	294
10	झारखंड	14.8	1.04	545
11	**कर्नाटक**	**536.81**	**8.41**	**34657**
12	केरल	1.55	0.23	9639
13	मध्य प्रदेश	31.2	5.86	32120
14	महाराष्ट्र	1073.5	24.26	71653
15	मणिपुर	0	0	25
16	मेघालय	0	0	867
17	मिजोरम	0	0	648
18	नगालैंड	0	0	102
19	ओडिशा	0.6	0	5966
20	पंजाब	140.29	21.77	19288
21	राजस्थान	19.85	1.19	2404
22	सिक्किम	0	0	170
23	तमिलनाडु	112.55	8.68	1740
24	तेलंगाना	4.03	9.79	11159
25	त्रिपुरा	0	0	546
26	उत्तराखंड	12.5	6.89	8362
27	उत्तर प्रदेश	146.6	41.34	3594
28	पश्चिम बंगाल	31.6	4.06	851
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0

30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3.75	0	18
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	24.17	0
33	जम्मू और कश्मीर	0	0	101
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
37	अन्य	0	0	10544
	कुल	**2361.43**	**227.56**	**288079**

***